

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 4 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 98/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/280

अनवान

1. श्रीमती कल्लो बानू पत्नी फारुख खान निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

वादीया

बनाम

1. श्रीमती जेतुन बेगम पत्नी समराज खां निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

2. श्री राज्य सरकार जसिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री फारुख मोहम्मद, अधिवक्ता वादीया।

2. श्री कैलाश चन्द्र चौवीसा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1।

**वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.03.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा कानोड ए पटवार इल्का कानोड, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जेटुन बेगम पत्नी समराज खां हिस्सा सम्पूर्ण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	5136/2993/1	0.07	नहरी प्रथम.	1.61
	योग	किता 1	0.07	-	1.61
2	कल्लो बानू पत्नी फारुख खान हिस्सा सम्पूर्ण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	2992	0.03	नहरी प्रथम	0.69
		5136/2993/2	0.04	नहरी प्रथम	0.92
	योग	किता 2	0.07	-	1.61

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

